

538

# न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक :

/2016

११२.१-१८

राधेश्याम पुत्र श्री गुलाबचंद मिश्रा, जाति—  
ब्रह्मण, निवासी—पमारिया, तहसील नटेरन,  
जिला विदिशा (म.प्र.)

## आवेदक

### बनाम

दौलतराम पुत्र श्री श्यामलाल साहू, निवासी—  
ग्राम व तहसील शमशाबाद, विदिशा

2. गंगाराम पुत्र गोपाल सिंह किरार, निवासी—ग्राम  
पमारिया, तहसील नटेरन, विदिशा (म.प्र.)

3. डालचंद पुत्र हल्कूराम साहू, निवासी—अहमदपुर  
रोड, विदिशा, जिला विदिशा,

4. महेश पुत्र घनश्याम, जाति साहू, निवासी—ग्राम  
व तहसील शमशाबाद, विदिशा

5. निपुण शर्मा पुत्र रमेश शर्मा आयु—लगभग 35  
वर्ष, निवासी—नटेरन, तहसील नटेरन, जिला  
विदिशा (म.प्र.)

6. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जिला विदिशा

## अनावेदकण्णण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नटेरन, जिला विदिशा द्वारा

प्रकरण क्रमांक 21/अप्रैल/15-18 गे पारित आदेश दिनांक

28/10/2016 के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1950 की

धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यह कि, आवेदक / निगरानीकर्ता ग्राम पमारिया, तहसील नटेरन स्थित



## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4192-एक/16

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
१९-१२-१८	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम.पी. भट्टनागर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५.५.) ९ को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">३</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सदस्य</p>	